छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश//

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक, 04-06-2026

क्रमांक: **ESTB-1024/797/2026-UAD** : : **श्री रमेश कुमार ध्रुव,** मूलपद राजस्व उप निरीक्षक को नगर पंचायत, दाढ़ी में प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर पदस्थापना के दौरान वार्ड क्रमांक 11, बजरंग बली मंदिर से लगनी बाई घर तक निर्मित सी.सी. रोड के कोर कटिंग का स्ट्रेंथ एम-30 के निर्धारित मापदंड से काफी कम पाये जाने, कार्यालयीन कक्ष में अपने पास शराब की बोतल रखकर आपत्तिजनक स्थिति में बैठे पाये जाने एवं वरिष्ठ कार्यालय द्वारा चेतावनी दिये जाने के बाद भी समय-सीमा की बैठक में बिना पूर्व सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने के लिए प्रारंभिक जांच में अवचार का दोषी पाया गया है।

2/ श्री ध्रुव का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार है।

3/ अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा **श्री रमेश कुमार ध्रुव** (मूलपद राजस्व उप निरीक्षक) प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी. नगर पंचायत. दाढ़ी को छत्तीसगढ़ नगरपालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1968 के नियम 53 एवं छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा, भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम 2017 के नियम 33 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

4/ निलंबन अवधि में श्री ध्रुव, का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग रहेगा, तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

civilindia.in

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

Digitally signed by
BHAGWAT JAISWAL
Date: 04-06-2026
17:09:41

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ. क्र. **ESTB-1024/797/2026-UAD** नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 04-06-2026
प्रतिलिपिः

1. विशेष कर्तव्यस्थ्य अधिकारी मान. उप मुख्यमंत्रीजी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
2. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर को अग्रेषित कर लेख है कि श्री रमेश कुमार ध्रुव के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु समय-सीमा में आरोप पत्रादि का प्रारूप विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. कलेक्टर, जिला-बेमेतरा को उनके पत्र क्रमांक 1046/स्टेनो/कले./2026 दिनांक